न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– रामसुख गुर्जर आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या 72/2016 (2016/00118)

वादीगण

1. भंवर लाल पुत्र चिमनाराम जाति निवासी जसराना तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर, राजस्थान।
2. भगवतराम पुत्र चिमनाराम जाति निवासी जसराना तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर, राजस्थान।
3. हरकु देवी पत्नी चिमनाराम जाति निवासी जसराना तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर, राजस्थान।

Web Copy Not Official

बनाम

प्रतिवादीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)

वाद बाबत इस्तकरार हक व रेकर्ड दुरूस्ती
अ.धा. 88 राज. का. अधिनियम 1955 एवं आर.एल.एक्ट 1956
उपस्थित :– श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादी की ओर से

निर्णय

दिनॉक:– 09/02/18

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम जसराना तहसील कुचामनसिटी की सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 100 रकबा 0.66 है0, खसरा नम्बर 101 रकबा 0.66 है0, खसरा नम्बर 102 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 103 रकबा 0.52 है0, खसरा नम्बर 104 रकबा 0.49 है0, खसरा नम्बर 105 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 106 रकबा 0.72 है0 कुल रकबा 3.28 है0 स्थित चली आ रही है।

उपरोक्त कृषि भूमि में वादीगण की 1/8 हिस्सा भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज चली आ रही थी जो कि वादीगण की पैतृक हक–हिस्से की भूमि रही है।

उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि में चौसाला खतौनी बनाते समय वादीगण का हिस्सा जो कि 1/8 हिस्सा बनता है वो छूट गया जो कि जमाबंदी के योग से मिलान करने पर योग पूरा नहीं हो रहा कुल रकबा का मिलान करने पर 1/8 हिस्सा दर्ज करने पर ही योग मिलता है।

उपरोक्त भूमि में वादीगण अपने पैतृक हक–हिस्से की भूमि का जो कि 1/8 हिस्सा बनती है जिसकी खातेदारी व जामबंदी में 1/8 हिस्सा दर्ज कराना आवश्यक हो गया है।

उपरोक्त खसरा नम्बरान की भूमि में वादीगण अपने 1/8 हिस्सा की भूमि पर काबिज खातेदार काश्त व उपयोग करते आ रहे है जिसका खातेदारी अंकन होने में व हिस्सा दर्ज होने से छूट गया उसको दर्ज कराने के वादीगण हकदार है।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपरोक्त खसरा नम्बरान में वादीगण के हक–हिस्से की 1/8 हिस्सा भूमि बनती है जिसका वादीगण अपने नाम दर्ज कराने व जमाबंदी में 1/8 हिस्सा दर्ज कराने के अधिकारी है इसलिए यह रेकर्ड दुरूस्ती का वाद लाना लाजमी हुआ है।

बिनाय दावा दिनांक 29.07.2016 को पटवारी हल्का को हमारे नाम की भूमि की तस्दीक करने बाबत कहा तो उन्होने खातेदारी में हमारा नाम दर्ज नहीं होने को कहा तब खतौनी की नकल प्राप्त की तो जानकारी हुई कि हमारा ही दर्ज होने से छूटगया व कानूनी सलाह लेने पर वाद पत्र पेश करने की सलाह दी जाने पर आज बमुकाम तहसील कुचामन सिटी मे पैदा हुआ।

वादीगण की इस्तदुआ निम्नवत हैः–

राजस्व ग्राम जसराना तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 100 रकबा 0.66 है0, खसरा नम्बर 101 रकबा 0.66 है0, खसरा नम्बर 102 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 103 रकबा 0.52 है0, खसरा नम्बर 104 रकबा 0.49 है0, खसरा नम्बर 105 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 106 रकबा 0.72 है0 कुल रकबा 3.28 है0 में से 1/8 हिस्सा के वादीगण बहिस्सा बराबर–बराबर के काबिज खातेदार कृषक है इस आशय की स्पष्ट खातेदारी अधिकारों की घोषणा व जमाबंदी में 1/8 हिस्सा दर्ज करने की घोषणा सादिर फरमाई जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सरकारी पैरोकार प्रतिनिधि उपस्थित जबाब पेश किया, शामिल मिसल है। तनकी कायम कर शामिल मिसल है। गवाह वादी उपस्थित, शपथ पत्र पेश किया गया, शामिल मिसल है।

वकील वादी ने बहस सुनाई, बाद बहस वादी का वाद पत्र एवं संलग्न दस्तावेजात खतोनी, सम्वत 2024–27 व 2031 से 2034 एवं मिलान खसरा व वर्तमान खतौनी तथा सरकारी पैरोकार का जबाब, तनकी एवं शपथ पत्र का अवलोकन एवं मनन करने पर वादीगण का वाद पैतृक सम्पति को लेकर है एचं हुक्माराम के वारिसान वादीगण का नाम छूट जाने पर वाद पेश किया है जो काबिल डिक्री पाया जाना उचित प्रतित होने से वादी का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

राजस्व ग्राम जसराना तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 100 रकबा 0.66 है0, खसरा नम्बर 101 रकबा 0.66 है0, खसरा नम्बर 102 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 103 रकबा 0.52 है0, खसरा नम्बर 104 रकबा 0.49 है0, खसरा नम्बर 105 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 106 रकबा 0.72 है0 कुल रकबा 3.28 है0 में वादीगण भंवर लाल ,भगवतराम पुत्र चिमनाराम, हरकु देवी पत्नी चिमनाराम जाति निवासी जसराना को 1/8 हिस्सा दर्ज करते हुये खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावें। राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 09/02/18 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसुख गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

15/2/18	वकील वादी उप० वकील वादी ने प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 152 CPC की पेश कर बहस सुनाई बहस में कथन किया कि न्यायालय हाजा के मु०न० 72/16 उनवान मदनलाल बनाम सरकार में दि० 3/2/18 को निर्णय हो चुका है निर्णय में टंकण भूल से वादीगण की लगातार	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मुकदमा नं. 72/16

भंवरलाल मु. सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	जाति जाट अंकित होना छूट गया है जाति अंकित होना आवश्यक है इसलिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 की पेश कर निवेदन है की पत्रावली आज ही तलब फरमाकर वादीगणों के आगे जाति जाट रवांग करवाकर संशोधित तहरीर जारी करने के आदेश फरमावें।	
	वकील वादी की प्रार्थना-पत्र पर पत्रावलीतलब की गई पत्रावली वाद मुकदमा 72/2016 निर्णय दि. 9/2/18 का अवलोकन व वकील वादी की बहस का मनन करने पर वकील वादी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी का स्वीकार कर निर्णय दि. 9/2/18 में वादीगण की जाति रवांग नहीं हुई है जो लिपिकीय भूल रवांग से हुई है जो काबिल दुरुस्त होने से निर्णय दिनांक 9/2/18 में वादीगण भंवरलाल, भगवताराम पुत्र चिमनाराम, हरकूदेवी पत्नी चिमनाराम जाति निवासी जसराना की जगह आदेश में भंवरलाल, भगवताराम पुत्र चिमनाराम, हरकूदेवी पत्नी चिमनाराम जाति जाट निवासी जसराना किया जाता है बाकी निर्णय दिनांक 9/2/18 यथावत रहेगा। संशोधन डिक्री पर्चा मय जाब्ता शा. किं. किया जावे संशोधन तहरीर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार कुचामन को जारी हो। फाईल पुनः दफ्तर दाखिल हो।	
	निर्णय सुनाया गया	
	उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	